न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 40/2020

–: अनवान :–

1. रामलाल
2. ओमप्रकाश
3. जगदीश
4. कृष्णलाल
5. रामेश्वरलाल

पुत्रगण रेखाराम

6. चीमादेवी उर्फ सीमादेवी बेवा रेखाराम

जाति मेघवाल(चमार) निवासी फूलेजी हाल चक 11 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी लालगढ़िया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकार राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 04/01/2024

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही कुभंगढ़ के खसरा नम्बर 160/46 का 3.036 हैक्टेयर बारानी रकबा अप्रार्थी न. 1 मनीराम पुत्र सहीराम के नाम से पु.आ. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नहरी विभाग में यह रकबा चक 11 पी.एच.एम. का हैं। उक्त वर्णित रकबा रोही कुम्भगढ़ के खसरा नम्बर 160/46 का 3.036 हैक्टेयर बारानी भूमि आज से 30 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही हैं। यह भूमि बहुत लम्बे समय से प्रार्थीगण के बाप दादा के कब्जा काश्त में थी व अब वर्षो से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। अप्रार्थी न. 1 गांव लालगढ़िया का रहने वाला हैं जबकि रकबा रोही कुम्भगढ़ में कभी नहीं रहा। कुम्भगढ़ गावं में न तो घर हैं व न ही वोट बना हुआ हैं, न ही राशन कार्ड बना हुआ हैं जब इस गांव का वासिंदा ही नहीं हैं, वासिंदा ही अलग पंचायत का हैं तो गांव कुम्भगढ़ में रकबा आंवटन करवाने की पात्रता ही नहीं रखता। पटवारी हल्का व कर्मचारियों से मिलकर गलत रिपोर्ट के आधार पर कागजी पुख्ता आवंटन करवा लिया गया हैं जो कतई गलत हैं। अप्रार्थी के पास पहले से ही रकबा बहुत

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 40/2020)

ज्यादा हैं व पहले से बाप दादा व माता के रकबा में से इतना अधिक रकबा हिस्सा में आता हैं कि अप्रार्थी न. 1 के पास पहले से ही रकबा बहुत अधिक हो जाता हैं इस कारण वह और रकबा आवंटन करवाने की पात्रता ही नहीं रखता था इसलिए भी अप्रार्थी न. 1 का इस जैरप्रकरण भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा व अप्रार्थी को वर्षो से पता हैं कि इस भूमि को प्रार्थीगण काश्त कर रहे हैं इसलिए भी प्रार्थीगण एडवर्स कब्जा की तारीफ में आने से अदालत में वाद प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के बाप दादा के समय से व अब प्रार्थीगण स्वंय ने भारी खर्चा लगाकर व कड़ी मेहनत करके व ट्रेक्टरो से व उंटो से करावा लगा कर बंजर भूमि को काबिल काश्त की हैं व जिसमें बहुत भारी खर्चा लगा कर भूमि को काबिल काश्त की हैं व यह रकबा प्रार्थीगण के ही खसरा में पड़ता हैं जिससें प्रार्थीगण इसी गांव पचायत का रहने वाला होने से प्रथम हक प्रार्थीगण का ही बनता है, अप्रार्थी न. 1 का किसी भी प्रकार से कोई हक व हिस्सा नहीं बनता हैं। प्रार्थीगण मेघवाल(चमार) जाति का अनुसुचित जाति के सदस्य हैं जबकि अप्रार्थी न. 1 बड़ा जमींदार व चौधरी आदमी हैं इसके पास कई गांवो में भूमि हैं व हरियाणा में भी भूमि बताई जा रही हैं व सूरतगढ़ शहर के पास भी सरकारी भूमि पर बहुत बड़ा कब्जा किया हुआ बता रहे हैं व शहरी क्षेत्र में भी कई सरकारी भूमि के प्लाटो पर कब्जा होना व बेचान करने का धन्धा बताया जा रहा हैं। अप्रार्थी न. 1 का कृषि पेशा ही नहीं हैं । प्रकरण प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व प्रार्थीगण जब जैरप्रकरण भूमि में काश्त की हुई फसल में गुड़ाई कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया व उसने अपने आप को मनीराम सुथार बताया व कहा कि जिस भूमि पर तुम लोगो(प्रार्थीगण) ने काश्त कर रखी हैं वह भूमि उसकी हैं व इस भूमि का कब्जा छोड़ दो वरना वह अपने लठेत आदमियों को साथ लाकर कब्जा जबरिया छुड़ा लेगा तो प्रार्थीगण ने कहा कि यह भूमि तो बहुत वर्षो से वह काश्त कर रहा हैं खाली नहीं करेगा। प्रार्थीगण ने कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगाकर इसे सुधारा हैं। आज तक कोई कब्जा छुड़ाने नहीं आया व प्रार्थीगण ने आज तक तुम्हे नहीं देखा हैं। इस पर तथाकथित मनीराम बहुत नाराज हुआ व गालिया निकालने लगा व धमकी दी कि अब वह थोड़े समय में 10 दिन में ही प्रार्थीगण द्वारा काश्त की गई फसल को नष्ट कर देगा। जैरप्रकरण भूमि में दी गई धमकी ही वाद तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण हैं। वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगना स्वाभाविक हैं परन्तु अप्रार्थी वाद पत्र के निर्णय से पूर्व जैरप्रकरण भूमि में घुसने व प्रार्थीगण की भारी खर्चा लगाकर तैयार की हुई फसल उखाड़ने पर उतारू हैं। अप्रार्थी अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा तथा वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वाद पत्र के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ के का खसरा नम्बर 160/46 का 3.036 हैक्टेयर बारानी रकबा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में बेजा दखलन्दाजी नहीं करे व मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील करवाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर दिनांक 26.10.2023 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्याः– 40/2020)

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजींरों व संबंधित कानून का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा अदालत में हाजिर आकर अपना पक्ष/ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थीगण की मौके पर फसल काश्त की हुई। ऐसी सूरत में मूल वाद पत्र के निर्णय से पूर्व जैरप्रकरण भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना हैं, इसलिए जैरप्रकरण भूमि को सुरक्षित रखना उचित प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रकरण की प्रकृति व साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए व न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि रोही कुंभगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 160/46 की 3.036 हैक्टेयर बारानी भूमि में दखलंदाजी नहीं करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)